8.22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
पत्रावली वास्ते आदेश 22.8.22
को पेश हो।

22.8.22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत
पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखाया
जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नंबर से
खत्म हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्याः 02/2021
दिगम्बर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट बनाम राजाराम वगै0
निर्णय दिनांकः 22.08.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 02/2021
दायर दिनाकं : 05.01.2021
निर्णय दिनांक : 22.08.2022

उनवान

दिगम्बर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट गुलजार बाग भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज दौसा जरिये सचिव श्यामसुन्दर गुप्ता पुत्र मोहनलाल गुप्ता जाति महाजन (अग्रवाल) निवासी ए–131 रणजीत नगर भरतपुर।

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजाराम पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. लादूराम पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
3. विश्राम पुत्र श्रीया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
4. नानगी देवी पत्नि उदया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
5. रोशनी पुत्री उदया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
6. श्यामलाल पुत्र उदया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
7. सुरज्ञान पुत्र उदया जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 149/4 रकबा 4.0000 है0 का प्रार्थी खातेदार व काबिज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी की कॉलेज संचालित है। उक्त भूमि का पूर्व में दिनांक 23.11.2015 को सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान कर देने के बावजूद भी प्रार्थी के पडौसी खातेदार अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 7 सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है, जिसके कारण आये दिन अशांति की स्थिति उत्पन्न होती [illegible] दिनांक 20.12.2020 को प्रार्थी की उक्त भूमि एवं खसरा नंबर 125, 127 के मध्य की [illegible] पर अपनी भूमि को सुरक्षित करने के लिए अपनी सीमा में बाउण्डरी [illegible] अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 7 ने बाधा उत्पन्न की। प्रार्थी ने कहा कि मैने सीमाज्ञान करवाया है, जहॉ होकर मेरी जमीन बतायी है, वहॉ होकर बाउण्डरी वाल बनवा रहा हूँ तो उक्त लोगों ने धमकी दी कि जब तक तुम तुम्हारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:13 IST
Reason: Self Attested

लगातार......2....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

भूमि की पत्थरगढी नहीं करवाओगे हम तुमको बाउण्डरी वाल नहीं बनाने देगे। इसलिए पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 3 प्रार्थी के पडौस की भूमि खसरा नंबर 127 ग्राम मित्रपुरा के खातेदार है व अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 7 खसरा नंबर 125 ग्राम मित्रपुरा के खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य सीमा चिह्न अंकित करवाकर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 149/4 रकबा 4.0000 है0 की पत्थरगढी करवाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की तामील हो चुकी है। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार दौसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम मित्रपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 149/4 मुताबिक राजस्व रिकार्ड दिगम्बर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट गुलजार बाग भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज दौसा लीज होल्डर 30 वर्ष खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि में तीनों ओर बाउण्डरी वाल है एवं भूमि के आंशिक भाग पर संस्था का पुख्ता निर्माण कर रखा है। शेष भाग मौके पर खाली है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा ने पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 149/4 रकबा 4.0000 है0 का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त आराजी के समीपवर्ती काश्तकारों को लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 10:45:13 IST
Reason: SelfAttested

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा